न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 44/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO: 2024/48

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री जयकुमार साहू पिता श्री लोकेश साहू मैसर्स जय कुमार साहू 29 तेल बाजार धानमण्डी उदयपुर। स्थाई पता– 29,तेल बाजार धानमण्डी उदयपुर मो.7742130445।

–विपक्षी

उपस्थित

1. श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. विपक्षी स्वंय ।

अन्तर्गत धारा 26 (2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 28.08.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ5(1)चिस्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 16.02.2024 को 1.00 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स जय कुमार साहू 29 तेल बाजार धानमण्डी उदयपुर पर पहूँचे, वहॉ विपक्षी श्री जयकुमार साहू उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स जय कुमार साहू 29 तेल बाजार धानमण्डी उदयपुर का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय पाया कि विक्रेता खुले हुऐ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर आदि आम जनता को बिक्री करने का कार्य करते है। यहां दुकान पर एक स्टील के गमलें में 5 किलो धनिया पाउडर (खुला) आम जनता को बिक्री वास्ते रखा पाया। इसमें मिसब्राण्ड, अनसेफ, सबस्टैण्डर्ड का शक होने एवं पिसा हुआ मसाला एफएसएसए 2006

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

के अन्तर्गत बेचना अपराध होने पर धनिया पाउडर(खुला) को अच्छीतरह से मिलाकर 2 कि.ग्रा. साफ सुखी एवं खाली स्टील के बर्तन में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। इसकी किमत विक्रेता के [illegible] अनुसार 280 रू. नकद चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा 2 कि.ग्रा. लाल धनिया पाउडर(खुला) को 4 प्लास्टिक के साफ सुखे जारों में बराबर मात्रा में भरकर इनका मुह एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक भाग पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं भाग को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए–**2577** का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो के पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो के भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्रांक एफएसएसए/2024/2157 दिनांक 03.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट न. एलएस 56/एक्ट/2024/56 दिनांक 26.02.2024 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार Contravenes of Regulation no. 2.3.14(15) of Food safety & Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations 2011 पाये जाने से इस प्रकार The sample is violet Section, 26(2)(v)of the Food safety & Standards Act 2006 हैं। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/2156 दिनांक 3.04.2024 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

एफ.एस.एस.ए./2024/4007 दिनांक 05.07.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1( ) क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को स्वंय आरोपी उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार कर कम से कम जुर्माने से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं खुले हुए खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय करने से भारी से भारी जुर्माना से दण्डित किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कम से कम जुर्माने से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के समय पाया कि विक्रेता खुले हुऐ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर आदि आम जनता को बिक्री करने का कार्य करते है। यहां दुकान पर एक स्टील के गमलें में 5 किलो धनिया पाउडर (खुला) आम जनता को बिक्री वास्ते रखा पाया। इसमें मिसब्राण्ड, अनसेफ, सबस्टैण्डर्ड का शक होने एवं पिसा हुआ मसाला एफएसएसए 2006 के अन्तर्गत बेचना अपराध होने पर धनिया पाउडर(खुला) को अच्छीतरह से मिलाकर 2 कि.ग्रा. साफ सुखी एवं खाली स्टील के बर्तन में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया जाने पर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट न. एलएस 56/एक्ट/2024/56 दिनांक 26.02.2024 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार **Contravenes of Regulation no. 2.3.14(15) of Food safety & Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations 2011 पाये जाने से इस प्रकार The sample is violet Section, 26(2)(v)of the Food safety & Standards Act 2006 हैं।**

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 का उल्लंघन किया है जिसके अर्न्तगत ऐसे मामलों मे अधिकतम राशि 2,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

प्रकरण मे आरोपी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को ₹50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपया मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे पिसा हुआ खुला मसाला खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर'' के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)